139

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14443/1933 **दिनांकः–** 17.10.14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, बरबीघा के वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक की लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 676/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूच[redacted] देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

So-7

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

17/10/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

3/11/14

182
6/11/14

नगर पंचायत, बरबीघा
निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–676/13–14
अंकेक्षण वर्ष– 2011–12 से 12–13

1. प्रस्तावना

बरबीघा, नगर पंचायत के वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक की लेखाओं की नमूना जांच प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना कार्यालय के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 27.05.13 से 01.06.13 की अवधि के दौरान किया गया।

2. प्रशासन : –

अध्यक्ष

	नाम	अवधि
1.	श्री विपिन चौधरी	01.04.2011 से 09.06.2012
2.	श्री चमल पासवान	09.06.2012 से 31.03.2013

उपाध्यक्ष

	नाम	अवधि
1.	श्री रौशन कुमार	01.04.2011 से 31.03.2013

कार्यपालक पदाधिकारी

	नाम	अवधि
1.	श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह	01.04.2011 से 25.08.2011
2.	श्री ईश्वर दयाल	26.08.2011 से 23.02.2012
3.	श्री सुधांषु शेखर	24.02.2012 से 31.03.2013

3. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वैसे अभिलेखों एवं पंजियों जिन्हें लेखापरीक्षा के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत किया गया की सूची अनुसूची–I में तथा जिन्हें जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा जिनका संधारण नहीं किया गया उन्हें अनुसूची – II में दर्शाया गया है।

4. पूर्ववर्त्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अप्रस्तुत

नगर पंचायत, बरबीघा के पूर्ववर्त्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो एवं उनके लंबित कंडिकाओं का विवरण निम्नलिखित है:–

क0सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का संदर्भ	अनिष्पादित कंडिकाएँ	कुल सं0
1.	256/78–79 (74–75 से 77–78)	8,18,20	3
2.	47/83–84 80–81 से 81–82	1 से 24	24
3.	244/83–84 (82–83)	1 से 20	20
4.	83–84 से 84–85	1 से 14	14

5.	527/86–87 (85–86)	1 से 22	22
6.	80/89–90 (86–87 से 87–88)	1 से 40	40
7.	105/98–99 (91–92 से 92–93)	1 से 29	29
8.	130/2004–05	15 से 20	06
9.	130/2004–05	23 से 25	03
10.	621/08–09 (04–05 से 07–08	1 से 33	33
11.	687/11–12 (2008–09 से 2010–11)	1 से 27	27
कुल योग			221

विगत लेखापरीक्षा में लगातार टिप्पणियों के बाबजूद पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं के निष्पादन हेतु कोई कारगर प्रयास नहीं किए गए। जिससे लेखापरीक्षा उद्देश्य की पूर्त्ति नहीं हो सका। नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाई गई आपत्तियाँ के शीघ्र निष्पादन हेतु प्रभावकारी कदम उठाए जाएँ।

5. आंतरिक लेखा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2004 की धारा 97 में आंतरिक लेखापरीक्षा का स्पष्ट प्रावधान है तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 (नियम 20,64 एवं 73) इत्यादि में भी यह उपबंधित है कि आंतरिक जाँच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पंदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी, जिन्हे प्राधिकृत किया जाएगा। इस तरह की जाँच व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा संभावित वित्तीय अनियमितताएँ को दूर करने हेतु की जाती है।

नगर पंचायत बरबीघा के अभिलेखों की जाँच के कम मे पाया गया कि इस तरह के जाँच की व्यवस्था नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा नहीं गया जिसके कारण अनेकों त्रुटियाँ घटित हुई तथा अंकेक्षण के दौरान दृष्टिगत हुई, जिनका उल्लेख प्रतिवेदन की आगे की कंडिकाओं मे किया गया है।

6. बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 82 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष बजट प्राक्कलन तैयार करेगा। मुख्य पार्षद प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करेगा। पुनः धारा 84 के अंतर्गत नगरपालिका बजट प्राक्कलन और इस पर स्थायी समिति की अनुशंसा यदि कोई हो तो विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तन के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे। अंगीकृत बजट प्राक्कलन को धारा 84 (ग) के अंतर्गत स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय उपनिदेशक को भेजा जाएगा जो परिवर्तन/ बिना परिवर्तन के 31 मार्च तक लौटा सकेगी।

बरबीघा, नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 हेतु बजट प्राक्कलन की प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार बजट प्राक्कलन की पारित की स्थिति निम्न थी–

वर्ष	बैठक द्वारा पारित होने की तिथी	संभावित आय	संभावित व्यय (रू0 लाख)
2011–12	16.05.2011	67.56	598.02
2012–13	05.03.2012	69.77	633.27

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन समय पर तैयार/पारित (वर्ष 2011–12) नहीं किया गया न ही इसे राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। नियमानुसार बजट प्राक्कलन नियत समय पर तैयाार/पारित करायी जाय तथा इसकी प्रति सरकार को भी प्रेषित की जाय।

(ii) वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 को बजट के तैयारी एवं बोर्ड द्वारा पारित से सबंधित संचिका उपलब्ध नहीं कराया गया। बताया गया कि संचिका का संधारण नहीं की जाती है। संचिका के संधारण नहीं होने के कारण यह बजट प्राक्कलन के तैयार किए जाने की वास्तविक समय, सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्राक्कलन को प्रस्तुत किए जाने की स्थिति, नगरपालिका कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने आदि की वास्तविक स्थिति का आकलन संभव नहीं हो सका।

(iii) पुनः वार्षिक लेखा के संधारण नहीं होने के कारण मदवार वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय की आंकडों का बजट प्राक्कलन से तुलना नहीं की जा सकें जबाव मे नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि आपत्तियों एवं सुझावों का अनुपालन किया जाएगा।

7. सरकारी अनुदान

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण लेखा परीक्षा वर्ष (2011–12 एवं 2012–13) के प्रारंभ मे अव्यवहृत अनुदान की राशि वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं व्यय की स्थिति तथा वर्ष के अंत 31.03.2013 में अव्यवहृत अनुदान की राशि की स्थिति ज्ञात नही हो सका। अतः अनुदान की राशि रोकड. बही के आधार पर बनाई गई एवं परिशिष्ट मे विवरणी दी गई है।

अनुदान पंजी के अनुपलब्धता मे किसी भी विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान का बाधित रहना, स्वीकृत या आदेशानुसार व्यय/उपयोग किया जाना/विचलन इत्यादि की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता है।

अतः अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत किया जाय।

यद्यपि उपलब्ध कराए गये रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 मे प्राप्त अनुदानों की विवरणी परिशिष्ट– III मे दी गई है।

जबाव मे नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि अनुदान पंजी का संधारण किया जाएगा/ अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत की जाय।

135

8. 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त अनुदान

वर्ष 2011–2012 एवं 2012–13 अंतर्गत 13 वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर कुल रू 87.90 लाख प्राप्त हुए।

स्वीकृत्यादेशानुसार, 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि मे से कम से कम 50 प्रतिशत राशि ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन पर व्यय किया जाना है, इसके अलावा पाइप जलापूर्त्ति व्यवस्था (रखरखाव सहित) सडकों मे प्रकाश व्यवस्था तथा पेय जल पर उपयोग बिजली के बिल भुगतान, रैन बसेरा/ओल्ड एज होम का निर्माण एवं रखरखाव पर किया जाना है। प्राप्ति विवरणी निम्नवत है

2011–12	25.05.11	15,00,000
	25.05.11	4,193
	13.10.11	16,00,000
	28.03.12	18,10,000
	28.03.12	1,80,000
	कुल	50,94,193.00

2012–13		
	24.08.12	11,72,000.00
	05.10.12	19,14,000.00
	24.12.12	6,10,000.00
		36,96,000.00
	कुल	87,90,193.00

कुल उपलब्ध राशि रू 87,90,193.00 की व्यय विवरणी निम्न थी–

(1) ठोस अवशिष्ट प्रबंधन मे व्यय – 43,95,096.00

J.C.B एवं टेम्पु क्रय पर व्यय – 27,98,171.00

अवशेष राशि = 15,96,925

व्यय % = 63.67 %

अवशेष राशि मे से दिनांक 08.05.2013 को क्रय समिति के बैठक के आलोक मे Suction Machine, Talor, Hand Trolly क्रय करने की कारवाई की जा रही है।

(2) नागरिक सुविधा मे प्राप्त राशि रू 43,95,096.00

बिजली बिल पर व्यय रू 1,71,111.00

अवशेष राशि = 42,23,985.00

व्यय % = 3.89 %

कुल व्यय % = 33.78

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि कुल प्राप्त राशि मे से मात्र 33.78 % राशि का ही व्यय किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) नगर पंचायत द्वारा मात्र 33.78 % राशि का ही 13 वी वित आयोग मद मे व्यय किया गया। इस प्रकार अनुदान की उपयोगिता बहुत ही निराशाजनक थी। नागरिक सुविधा मद ने मात्र 3.89 % राशि का ही उपयोग किया गया। नागरिक सुविधा मद मे बिजली बिल पर रू 1,71,111.00 का व्यय के अलावा बिगत दो वर्षो मे किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया। पेयजलापूर्ती, सडको मे प्रकाश, रैन बसेरा/ओल्ड एज होम पर किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया। राशि के उपयोग नही होने के कारण अनुदान प्राप्ति का उद्देश्य विफल हो गया। अतः अनुदान राशि का व्यय प्रधिकृत मदों मे कर उपयोगिता महालेखाकार, बिहार एवं सरकार को भेजा जाय।

9. वित्तीय संव्यवहार

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था, जिसके कारण नगर पंचायत के वास्तविक आय एवं व्यय की स्थिति ज्ञात नही हो सकी। लेकिन लेखापाल रोकड बही के अनुसार लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नगर पंचायत की आय व्यय की स्थिति निम्नलिखित थी।

कम0 सं0	विवरण	2011–12	2012–13
1	2	3	4
1.	प्रारंभिक शेष	53587261.75	66379463.75
2.	प्राप्ति		
(1)	सरकारी अनुदान		
(क)	13 वी वित्त आयोग	5094193.00	3696000.00
(ख)	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	9174761.00	10758927.00
(ग)	जनगणना	426452.00	–
(घ)	पार्षदभत्ता	83400.00	83400.00
(ड)	उपचुनाव निर्वाचन	40000.00	50000.00
(च)	E. Goverance	78979.00	–
(छ)	कबीर अंत्येष्ठि	246000.00	45000.00
(ज)	पशुगणना	–	38868.00
(झ)	जातिगणना	–	145250.00
(ञ)	आधारभुत संरचना	–	76290000.00

(ट) प्रशासनिक भवन	–	1618875.00
(ठ) रेस्ट हाउस 1 पार्क	–	2500000.00
3. कुल अनुदान (क से ठ तक योग)	15143785.00	95226320.00
4. ब्याज	873221.00	2644232.00
5. निजी श्रोत से आय	7150922.00	7250253.00
6. वर्ष की प्राप्ति (3+4+5)	23167928.00	105120805.00
7. कुल प्राप्ति (1+6)	76755189.75	171500268.75
8 व्यय		
(i) योजना	9167939.00	20091455.00
(ii) स्था. एवं अन्य	1207787.00	1377723.00
9 कुल व्यय (i+ii)	10375726.00	21469178.00
10 अंतशेष	66379463.75	150031090.75

बैंक पासबुक अंतशेष

कम0 सं0	बैंक पास बुक खाता/सं0	अंतशेष
1	ट्रेजरी पास बुक –	36176425.00
2	पंजाब नेशनल बैंक – 055500067531	2067191.00
3	SBI बरबीघा – 11464127961	103420882.92
4	SBI – 3154819834	16171.00
5	SBI – 11464150560	7697303.83
6	मुँगेर क्षे0 ग्रा0 बैंक – 2228	563321.00
	कुल योग	149941294.75

रोकड. बही एवं बैंक पास बुक के अंतशेष का अंतर रू0 89796.00

(i) बैंक पास बुक एवं रोकड. बही के अंतशेष अंतर का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण मे दिखाया जाय।

(ii) रोकड़ बही मे व्यय का सर्म्पूण व्योरा नही पाया गया। अतः मदवार व्यय सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इस स्थिति मे विचलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(iii) नगर पंचायत द्वारा रोकड़ बही का संचालन नहीं किया जा रहा था। राशि प्राप्त होने पर राशि को सीधे लेखापाल रोकड़ बही दर्ज किया जाता है। Municipal Accounts Rule के अनुसार रोकड़पाल द्वारा

प्राप्त राशि सर्वप्रथम रोकड़पाल रोकड़ बही मे दर्ज करने के पश्चात राशि को लेखापाल रोकड़ बही मे स्थानांतरित किया जाना चाहिए। परन्तु नगर पंचायत द्वारा **Bihar Municipal Rule** के प्रावधानानुसार रोकड़पाल रोकड़ बही का संचालन नही किया जा रहा था।

साथ ही साथ लेखापाल रोकड़ बही का संचालन सही ढंग से नही पाया गया। पहले की तिथि मे प्राप्त राशि को बाद मे जमा एवं बाद की प्राप्त राशि को पहले की तिथी मे दर्ज पाया गया। इन सब कारणों के कारण जाँच, पर्यवेक्षण एवं अंकेक्षण जाँच मे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

(iv) नगर पंचायत के कर सग्राहको द्वारा दैनिक पंजी का संचालन नही पाया गया। राशि प्राप्ति के पश्चात रसीद पर ही राशि को जोड़कर कर संग्राहक द्वारा रोकड़पाल को जमा कर दिया जाता था। दैनिक संग्रह पंजी का संचालन नही होने से कर संग्राहक को द्वारा दैनिक वसूली की वास्तिविक स्थिति सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

रोकड़पाल रोकड़ बही तथा दैनिक संग्रह पंजी का संचालन नही किए जाने एवं प्राप्ति का सिलसिलेवार ढंग से रोकड़ बही में नहीं लिखे जाने के कारण अंकेक्षण को प्राप्ति राशि की जाँच मे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सिलसिलेवार ढंग से प्राप्ति को जमा। रोकड़ बही मे दर्ज नही किए जाने के कारण जमा करने मे भी विलंब पाया गया।

अतः उपरोक्त सभी त्रुटियों को दूर किया जाय। रोकड़पाल रोकड़ बही एवं दैनिक संग्रह पंजी का संधारण अवश्य किया जाय।

जबाब मे नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि रोकड़पाल रोकड़ बही, दैनिक वसूली पंजी तथा अंकेक्षण द्वारा किए गए सुझाव का अविलंब पालन करने की कारवाई की जाएगी।

10. पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि रोकड़ बही

क्रम0 सं0	विवरण	2011–12	2012–13
1.	प्रारंभिक शेष	13726649.00	17127803.00
2.	प्राप्ति		
	(i) अनुदान	9894928.00	8379353.00
	(ii) ब्याज	545045.00	576121.00
3.	जोड़ वर्ष की प्राप्ति	10439973.00	8955474.00
4.	कुल प्राप्ति	24166622.00	26083277.00
5.	ब्यय		
	(i) योजना	7038515.00	3265490.00
	(ii) बैंक कमीशन	304.00	56.00
6.	कुल व्यय (i+ii)	7038819.00	3265546.00

[131]

7.	अंतशेष (1+6)	17127803.00	22817731.00
	बैंक पास के अनुसार अंतशेष		
1.	पंजाब नेशनल बैंक	0555000110019391	13595179.00
2.	केनरा बैंक	334810 1000495	9397265.00
		कुल	22992444.00

बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के अंतशेष का अंतर रू0 174713.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 20 दिनांक 12.07.2012 को श्री अजय कुमार को योजना संख्या 07/10–11 में चेक सं0 582735 के द्वारा रू 66081.00 का भुगतान किया गया, परन्तु उक्त चेक संख्या के विरूद्ध दिनांक 01.09.2012 को बैंक द्वारा रू 66025 का भुगतान किया। इस प्रकार रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक/वास्तविक व्यय में 56.00 का अंतर पाया गया।

(ii) दिनांक 04.03.2013 को बैंक पास बुक में/बैंक द्वारा (पंजाब नेशनल बैंक 0555000110019391) रू0 174657 का ब्याज दिया गया जिसे रोकड़ बही में दर्ज नही किया गया । इस राशि को रोकड़ बही में दर्ज किया जाय।

(iii) बैंक पास बुक एवं रोकड़ बही के अंतशेष का अंतर रू0 174713.00 पाया गया। अंतर का कारण चेक सं0 582735 द्वारा रोकड़ बही से बैंक मे रू. 56 का कम व्यय तथा रू0 174657 ब्याज के रूप मे रोकड़ बही में दर्ज नहीं राशि का पाया जाना है। बैंक पास बुक एवं रोकड़ बही के अंतशेष के अंतर का समाधान विवरणी तैयार कर तथा रोकड़बही संधारित कर अगले अंकेक्षण मे दिखाया जाय।

जवाब में बताया गया कि बैंक पासबुक को अघतन कराकर अनुपालन करा दिया जाएगा।

11. स्वर्ण जयन्ती भाहरी रोजगार योजना रोकड़बही

क0सं0	विवरण	2011–12	2012–13
1.	प्रारंभिक शेष	1188111.58	1224741.58
2.	प्राप्ति		
	(i) अनुदान	0	3000000.00
	(ii) ब्याज	156630.00	84047.00
3.	वर्ष की प्राप्ति (i+ii)	156630.00	3084047.00
4.	कुल प्राप्ति (1+3)	1344741.58	4308788.58
5.	व्यय		
	(i) सहाय मद मे बैक को भुगतान	120000.00	0
	(ii) सचिव सोसाइटी इनफॉरमेशन, पटना को भुगतान	0	200000.00
	(iii) बैंक कमीशन	0	200.00
6.	कुल व्यय (i+ii+iii)	120000.00	200200.00
7.	अंतशेष (3–5)	1224741.58	4108588.58

बैंक पासबुक पंजाब नेशनल बैक खाता सं0 0555000100113661 के अनुसार अंतशेष 4010358.58

बैंक पासबुक एवं रोकड़बही के अंतशेष का अंतर 98230.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) बैंक पासबुक एवं रोकड़बही के अंतशेष का अंतर का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण मे दिखाया जाय।

(ii) पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (687/11–12) के कंडिका 7 में इस मद मे एक और बैंक पासबुक (क्षे0 ग्रामीण बैंक बरवीघा खाता सं0 3379) का उल्लेख पाया गया। जिसे अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बैंक पासबुक को अगले अंकेक्षण मे दिखाया जाय।

12. नहीं जमा

(क) विविध रसीद : नगर पंचायत विविध रसीदों द्वारा प्राप्त वसूली की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कुल रू 1402.00 प्राप्त की गयी राशि जमा नहीं किया गया था। विवरण निम्नवत है–

क0 सं0	विविध रसीद सं0	दिनांक	राशि	कर संग्राहक का नाम	अभियुक्ति
1.	787	5.12.12	20	श्री विनोद	खोजी शुल्क
2.	788	21.12.12	38	तथैव	"
3.	789	21.12.12	36	"	"
4.	790	22.12.12	44	"	"
5.	791	22.12.12	46	"	"
6.	792	05.01.13	32	"	"
7.	793	05.01.13	42	"	"
8.	794	05.01.13	24	"	"
9.	795	05.01.13	42	"	"
10.	796	05.01.13	46	"	"
11.	797	05.01.13	10	"	"
12.	799	25.03.13	22	"	"
13.	806	14.06.12	500	रामस्वारथ प्रसाद सिंह	नक्शा स्वीकृती
14.	819	01.08.12	500	तथैव	"
		कुल योग	1402.00		

(ख) H रसीद

पुनः H रसीद के जाँच के कम मे पाया गया कि H रसीद मे जमा राशि में से कम राशि जमा किया गया। इस प्रकार कुछ रू 2428.00 कम जमा किया गया। विवरणी निम्न है–

क0 सं0	रसीद सं0/तिथि	वसूली राशि	ज्मा राशि	कर संग्राहक का नाम
1.	911	213	113	कृष्णनंदन राम
2.	1263/17.08.12	108	28	तथैव
3.	1609/06.09.12	270	102	तथैव
4.	1162	270	170	तथैव
5.	901 से 1000 (04.05.12 से 06.08.12)	2080	0	कार्यानंद
	कुल योग	2941	513	

129

कुल जमा = 2941– 513 = रू 2428.00

पुनः H रसीद मे वसूली गयी राशि अगले रसीद मे जोड़ कर पुनः अगले रसीद की राशि को उसके अगले रसीद मे जोड़कर जामा किया जाता था। जिसके कारण लिपिकिय भुल के कारण जोड़ गलत पाया गया फलस्वरूप नगर पंचायत खाते मे रू 622.00 कम जमा किया गया। विवरण निम्नवत हैः

क0सं0	रसीद सं0/तिथि	कर संग्राहक का जोड़	स्ही जोड़	कम जमा	कर संग्राहक का नाम
1.	1265/17.08.12	10823	10923	100	कृष्णनंदन राम
2.	1282/28.08.12	12559	12459	100	तथैव
3.	1613/06.09.12	1719	1617	102	तथैव
4.	1686/19.09.12	11297	11237	60	तथैव
5.	1162/16.08.12	6937	6837	100	कार्यानंद
6.	715	3276	3216	60	रामनरेश
7.	39/03.10.12	4477	4377	100	कृष्णनंदन राम
				622	

इस प्रकार विविध रसीद एवं H रसीद से प्राप्त राशि मे से रू 4452.00 कम जमा किया गया। (1402+2428+622)

नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त राशि मे से रू 3573.00 दिनांक 31.05.2013 को SBI खाता सं0 011464150560 मे जमा कर दिया गया। जमा की गयी राशि की रोकड़बही में प्रविष्ट कर अगले अंकेक्षण मे जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाय तथा शेष कम जमा राशि रू 879 जमा कर अगले अंकेक्षण मे दिखाया जाय।

(ग) बैंक मे जमा राशि की सम्पुष्टि नहीं : –

विभिन्न विविध रसीदों के लेखा परीक्षा मे दौरान ज्ञात हुआ कि प्राप्त राशि को बैंक जमा पर्ची के अनुसार जमा दिखाया गया। लेकिन रोकड़ बही एवं बैक पास बुक अघतन नही किया गया फलस्वरूप लेखा परीक्षा मे जमा राशि की सम्पुष्टि नहीं की जा सकी विवरण निम्नवत है।

क0सं0	विविध रसीद सं0	दिनांक	प्राप्ति राशि प्रति आवेदक	कुल राशि	जमा पर्ची के अनुसार तिथि
1.	140 से 171 कर्यानंद शर्मा	11.12.12 से 03.05.13	1000	32000	24.05.13
2.	278 से 300 कृष्णनंदन राम	22.01.13 से 11.03.13	1000	23000	12.04.13
3.	37 से 58 राम नरेश सिंह	15.12.12 से 23.03.13	1000	22000	09.04.13
				77000	

उपरोक्त राशि भवन निर्माण हेतु नक्शा पारित के लिए प्राप्त हुआ था। रोकड़बही एवं बैक पास बुक को अघतन कर राशि की प्रविष्ठ रोकड़बही मे दर्ज कर अगले अंकेक्षण मे दिखाया जाय।

13. कम मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाने के कारण राजस्व की क्षति ₹120130

सरकार के निर्देशानुसार पत्रांक 1920/रो./मु. स. दिनांक 14.08.2002 तथा सचिव सह आई. जी पंजीयन के पत्र सं: 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार सैरातो की बंदोबस्ती का एकरारनामा बंदोवस्त राशि के 3% मूल्य के समतुल्य स्टाम्प पेपर पर किया जाना है परंतु वर्ष 2011–12 मे यह पाया गया की नियमानुसार बंदोवस्त राशि के 3% मुल्य के बराबर स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा न कर रू 100 मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया गया फलस्वरूप रू 1,20,130 की राजस्व की क्षति हुई।

विवरणी निम्न है–

क0सं0	सैरात	बंदावस्तदार का नाम	बंदोवस्त राशि	3 %	स्टाम्प	कम
1.	प्राइवेट बस स्टैण्ड	महेश प्रसाद सिंह	25,11,000	75330	100	75230
2.	प्राइवेट टैक्सी स्टैण्ड	शशि सोवर	12,91,000	38730	100	38630
3.	गौशाल रोड	विजय सिंह	25,000	750	100	650
4.	गोपालबाद स्टैंड	शंभु कुमार	174000	5220	100	5120
5.	टिन टिकट	दिवाकर सिंह	20,000	600	100	500
			4021000	120630	500	120130

रू 1,20,130 की राजस्व क्षति की भरपाई हेतु नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाय।

2. सैरात पंजी का संधारण नही:– सैरात पंजी का संधारण नंही किये जाने के कारण लेखा परीक्षा वर्ष से पूर्व के अवधि मे की गई बंदोवस्ती के विरूद्ध बन्दोवस्तदार के पास बकाया राशि यदि कोई है की स्थिति ज्ञात नही हो सकी।

सैरात पंजी के संधारण कर अगले लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत की जाय।

जबाव मे नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि सैरात पंजी का संधारण किया जाएगा एवं बकाए स्टाम्प शुल्क की बसूली हेतु नोटिस निर्गत करने की कारवाई की जाएगी।

14. गृह कर का पुनरीक्षण की प्रकिया नही किया जाना

सरकार के पत्रांक 3451/न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 26.09.2012 के द्वारा सभी नगर निकायों का अनुरोध किया गया कि होल्डिग कर को सरकार द्वारा प्रस्तावित दरों के आलोक मे दिनांक 15.11.12 तक बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाय।

विदित हो कि नगर पंचायत बरबीघा के द्वारा सरकार के पत्रांक 3244/30.09.05 के द्वारा स्वीकृत दर के आलोक में करो की बसूली की जा रही है।

पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 687/11–12 (वर्ष 2008–09 से 2010–11) के कंडिका 10 के द्वारा इंगित किया गया था कि नगर पंचायत बरबीघा हेतु स्वीकृत दर अन्य नगर निकायों की तुलना मे कम है तथा तुलनात्मक अध्ययन मे लगभग 23.67 लाख प्रति वर्ष मकान कर के रूप मे राजस्व क्षति हो रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा भी सरकारी पत्रांक 345/26.09.12 द्वारा प्रस्तावित दन के आलोक मे संलग्न परिशिष्ट–IV (A, B, C) पर उपस्थापित मे तुलनात्मक अध्ययन दर्शाया गया है। परिशिष्ठ (B) मे नमूना के तौर पर

20 होल्डिग का प्रस्तावित दर पर गृह कर का आकलन किया गया, सिके अनुसार गृह कर माँग, वर्तमान माँग रू 7784 के विरूद्ध रू 50450.00 पाया गया जो कि वर्तमान का 648 % अधिक है।

पुनः परिशिष्ट– III (C) पर संभावित माँग रू0 23.47 लाख पाई गयी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा जारी निर्देश के बावजूद नगर पंचायत बरबीघा द्वारा गृह कर पुनरीक्षण हेतु कोई कारवाई नही की जा रही थी।

जबाव मे बताया गया कि दिनांक 08.03.2013 के बोर्ड बैठक मे रखा गया था किन्तु नया दर पारित नहीं किया जा सका। अगली बैठक में पारित कर कर सरकार का अनुमोदन हेतु भेज दिया जाएगा।

अतः कार्यपालक अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित दर का अनुमोदन बोर्ड से कराकर स्वीकृति हेतु सरकार को भेजा जाय ताकि लाखों रूपए की हानि से बचाया जा सके।

15. योजना पंजी का संधारण

योजना पंजी का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया। इसमें विभिन्न सूचनाओं का अभाव पाया गया। एकरारनामे की राशि/तिथि, कार्यादेश सं0 1 कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि तथा वास्तविक तिथि, कार्य की स्थिति, भुगतान की विवरणी (चेक सं0 अथवा अभिद्रव संख्या) मापी की स्थिति (राशि/तिथि) आदि। विभिन्न मदों हेतु अलग– अलग योजना पंजी का संधारण नहीं किया गया।

उपरोक्त कमियों के कारण योजना के कार्यान्वयन एवं भुगतान की लेखापरीक्षा मे जाँच किया जाना संभव नहीं हो सका। पुनः पूर्व वर्ष में ली गयी योजनाओं में कितना योजना अपूर्ण है अथवा पूर्ण है।

16. बी.आर.जी.एफ. अंतर्गत बाई सं0 20 गंगारी में तीन दुकानों का निर्माण (योजना 20/2010–11)

प्रा0 राशि – रू 327715

एकरारनामे की राशि – रू 327715.00

तकनीकी स्वीकृति – 06.12.10

वार्षिक कार्य योजना – 2009–10

संवेदक – श्री मुकेश कुमार

कार्यादेश – 30.08.11

कार्य पूर्ण करने की नियत अवधि – नौ माह

कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि

मापी विवरणी

प्रथम चालू मापी	06.12.11(JE) – 06.12.11(AE)	177463.00
द्वितीय चालू मापी	13.12.11(JE) – 13.12.11(AE)	225646
तृतीय चालू मापी	25.12.11(JE) – 02.01.12(AE)	305247
चतुर्थ एवं अंतिम मापी	28.01.13 04.02.13	197952.00 70431.00 (Zero measurement in this. Measurements)
	S.D. reborded –	15262
		283645
	रॉयल्टी –	2493
	वैट –	12210
	आय कर –	6899
		305247.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) बी.आर.जी.एफ. अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना (2008–09) सह संदेश योजना प्रस्ताव (2009 से 2012) की योजना सूची के अनुसार उपरोक्त योजना वर्ष 2009–10 हेतु (क्रमांक सं0 88 पर) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना सेक्टर हेतु कर्णांकित थी। परन्तु उक्त योजना के वर्ष 2010–11 में ली गयी तथा 2012–13 में पूर्ण हुयी। किन परिस्थिति में कर्णांकित अवधि में योजना को नहीं लिया गया तथा योजना पूर्ण करने में विलंब किया गया यह स्पष्ट नहीं किया गया।

(ii) मापी पुस्तिका के अनुसार तृतीय चालू मापी 25.12.2011 को ली गयी और 0305247.00 दर्ज पाया गया तथा चतुर्थ एवं अंतिम मापी दिनांक 28.01.2013 (लगभग 1 साल बाद) को ली गयी जिसकी मापी शून्य था। किन कारणों से चतुर्थ एवं अंतिम मापी एक साल बाद ली गयी स्पष्ट नहीं किया गया।

(iii) संचिका में योजना के कार्यान्वयन का न तो कोई फोटोग्राफी था न ही योजना सूचनापट्ट का साक्ष्य था। कार्यान्वित योजना का त्रिस्तरीय फोटोग्राफी/सूचनापट्ट नितान्त आवश्यक है। कार्यालय द्वारा इस संबंध में न तो कार्यादेश में निर्देश दिया गया था न ही कार्यान्वयन के दौरान कोई आदेश जारी किया गया।

(iv) योजना संचिका में प्राक्कलन भी संलग्न नहीं पाया गया।

(v) कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं पाया गया।

(vi) बी.आर.जी.एफ. के अन्तर्गत किस प्रावधान के तहत दुकान का निर्माण कराया गया तथा इसका क्या उद्देश्य या यह अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

दुकान के निर्माण होने बावजूद कार्यालय द्वारा इसके उपयोग हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया गया, फलस्वरूप किया गया व्यय 305247.00 निष्फल प्रतीत होता है। इस संबंध में स्थिति लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर संतोषप्रद जवाब मिलने तक व्यय राशि 305247.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

17. आंतरिक श्रोत से कार्यान्वित योजना

कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी योजना विवरणी के अनुसार नगर पंचायत, बरबीघा द्वारा आंतरिक संसाधन मद से वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में कुल 103 योजनाओं (वर्ष 2011–12 में 95 एवं 2012–13 में 8) ली गयी। जिसमें से कुल 76 योजनाएँ पूर्ण थी तथा वर्ष 2011–12 में ली गयी 95 योजनाओं में से 11 योजनाएँ जमीन विवाद के कारण कार्य स्थगित थी तथा 16 योजनाओं में बताया गया कि कार्य भौतिक रूप से पूर्ण है, परन्तु अभिलेख संचिकाबद्ध/अंतिम मापी/अंतिम भुगतान नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(i) विभागीय कार्य कराया जाना– विभागीय पत्रांक 356 दिनांक 22.01.2008 एवं 1954/17.04.08 के स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली सभी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से किया जाय। उक्त निर्देश के बावजूद नगर पंचायत, बरबीघा द्वारा वर्ष 2011–12 में आंतरिक संसाधन से कार्यान्वित सभी 95 योजनाओं जिसकी प्रा0 राशि कुल 38.80 लाख की, विभागीय कराया गया जिसका अभिकर्त्ता श्री रामस्वारथ प्रसाद सिंह, कैशियर सह टैक्स दरोगा थे जिन्हें सभी योजनाओं हेतु दिनांक 04.07.2011 को कार्यादेश जारी किया गया।

सरकारी आदेश के बावजूद योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से न कराकर विभागीय कराए जाने का कारण तथा परिस्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। उपरोक्त योजनाओं में कुल 2771747.00 का व्यय किया गया।

(ii) योजना विवरणी के अनुसार कुल 11 योजनाओं को जमीन विवाद के कारण स्थगित कर दिया गया। इन योजनाओं पर अभिकर्त्ता को दिनांक 15.07.2011 को कुल 50000 (10x 5000) का अग्रिम दिया गया था। कार्य नहीं हाने की स्थिति में अभिकर्त्ता द्वारा अग्रिम की राशि वापस कर दी जानी चाहिए था।

अतः स्थगित योजनाओं पर दिया गया अग्रिम 50000 की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर नगर पंचायत कोष में जमा किया जाय।

(iii) 16 योजनाओं में अभिकर्त्ता को कुल 80000.00 का अग्रिम दिया गया था जिसमें विवरणी के अनुसार वर्ष 2011–12 में ही पूर्ण दर्शाया गया था। यह बताया गया कि अंतिम भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन परिस्थितियों में अभी तक अंतिम भुगतान की कार्रवाई नहीं की गयी है।

(iv) चापाकल से संबंध संचिका के अवलोकन के क्रम में निम्न कमियाँ पायी गयी।

(v) चापाकल के अधिष्ठापन तथा इसके संतोषप्रद तरीके से कार्य से संबंध कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

(vi) सभी योजनाओं में सामाग्री कुमार मशीनरी एण्ड हार्डवेयर स्टोर, बरबीघा (Reg. No. 806) से क्रय किया गया जिसके लिए सभी योजनाओं हेतु अलग– अलग विपत्र उपलब्ध कराया गया।

जब सभी योजनाओं के लिए जब एकमुश्त सामाग्री की आवश्यकता थी तो इसे निविदा/क्रय समिति/कोटेशन के द्वारा क्रय किया जाना चाहिए था।

(vii) पुनः आपूर्त्तिकर्त्ता TIN/VAT निबंधित नहीं था (विपत्र के अनुसार) न ही बिल पर सिरिमल क्रमांक प्रिंटेड था।

(viii) आपूर्त्तिकर्त्ता से नियमानुसार VAT की भी कटौती नहीं की गयी।

(ix) संचिका में संलग्न सूचनापट्ट/योजना के फोटोग्राफी के अनुसार सूचनापट्ट में योजना संख्या, योजना का मद, अभिकर्त्ता का नाम, प्रा0 राशि आदि नहीं था, न ही संलग्न फोटोग्राफ किन्हीं अधिकारी द्वारा सत्यापित था।

उपरोक्त कमियों के कारण लेखापरीक्षा में योजना के कार्यान्वयन/चापाकल के अधिष्ठापन की सत्यता की जॉच नहीं की जा सकी।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर संतोषप्रद जवाब मिलने तक व्यय की गयी राशि 2721747.00 (2771747–50000) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

18. दैनिक मजदूरों पर व्यय (10.51 लाख)

लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार दैनिक मजदूरों को 2011–12 एवं 2012–13 में 1050389.00 का भुगतान किया गया।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार दैनिक मजदूरी पर व्यय नहीं करने का प्रावधान है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा दैनिक मज़दूरी को 1050389.00 की मजदूरी का भुगतान किया गया।

(विवरणी परिशिष्ट– पर उपस्थापित)

सरकारी निर्देशों के विरूद्ध नगर पंचायत द्वारा किन परिस्थिति में दैनिक मजदूरों पर 1050389.00 का व्यय किया गया स्पष्ट करें।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि उपरोक्त सफाईकर्मी दैनिक मजदूर न होकर मानदेय/अनुबंध पर कार्यरत है। जिसे दैनिक या साप्ताहिक भुगतान मास्टर रॉल के आधार पर न करके मासिक मानदेय का कार्यदिवस के आधार पर भुगतान किया जाता है।

लिपिकिय भूलवश इसे दैनिक पारिश्रमिक के रूप में रोकड़ पंजी एवं मानदेय पंजी में अंकित किया गया। दिए गए जवाब के संदर्भ में किसी प्रकार का साक्ष्य अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः इस संबंध में संतोषप्रद जवाब/साक्ष्य उपलब्ध होने तक व्यय राशि 1050389.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

123

19. लेखापरीक्षा परिणाम

1. लेखापरीक्षा के दौरान जमा राशि – ₹3573.00

2. वसूली हेतु सुझायी गयी राशि – ₹171009.00

3. अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी गयी राशि– ₹4077383.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VI पर)

20. कार्यपालक से वार्तालाप

अंकेक्षण दल द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर बिन्दुवार विचार– विमर्श कार्यपालक पदाधिकारी के साथ दिनांक 01.06.2013 को की गयी।

21. सामान्य अभ्युक्ति

नगर पंचायत के लेखाओं के संधारण में सुधार की काफी आवश्यकता है। संग्रह लेखाओं पर सतत पर्यवेक्षण की आवश्यकता है इसे सुधारने हेतु नगरपालिका अधिनियम के अनुसार करों की वसूली हेतु प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। योजना पंजी का संधारण विहित प्रपत्र में किया जाय।

कार्यपालक द्वारा लेखाओं एवं वसूली जमा की सतत जॉच की जानी चाहिए। अपूर्ण योजनाओं को विलंब पूर्ण करने हेतु ठोस कदम उठाए जाए। दैनिक संग्रह पंजी एवं रोकड़पाल रोकड़ बही का संधारण अवश्य किया जाय।

–हस्ता0–

विमलेश

(स0ले0प0अधि0)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार (एस0एस0–I)

––सह––

स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

सं0– एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0 दिनांक

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरबीघा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवदेन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जबाबदेही का दावा नही करता है।

-sd-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सोशल सेक्टर –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0– एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14443/1933 दिनांक 17.10.14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, शेखपुरा

17.10.14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सोशल सेक्टर –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

परिशिष्ट I

कंडिका - 3 से सम्बन्धित

अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख

1. संस्थापना रोकड़बही
2. ट्रेजरी पास बुक / बैंक पास बुक
3. अभिश्रव
4. स्टॉक रसीद
5. विविध रसीद
6. भंडार पंजी (होलोग्राम रसीद एवं विविध रसीद सम्बन्धित)
7. योजना पंजी
8. योजना अभिलेख
10. स्थापना संचिका
11. बी आर जी एफ, S.J.S.R.Y, रोकड़बही एवं सम्बन्धित बैंक पास बुक
12. बजट 2011-12

Vimlesh
AAO.